

14564 - कार्यस्थल पर एक कमरे में जुमा की नमाज़ पढ़ना

प्रश्न

कार्य के मालिक ने हमारे लिए कार्यस्थल पर एक छोटी सी नमाज़-स्थल की व्यवस्था की है, और हम चार लोग उसमें पाबंदी से जुहू और अस्स की नमाज़ पढ़ते हैं। क्या शरीअत के अनुसार हमारे लिए इस कमरे में जुमा (जुमुआ) की नमाज़ पढ़ने की अनुमति है ? जबकि यह बात ध्यान में रहे कि हमारे लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है और इस कमरे में कोई भी जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ता है।

विस्तृत उत्तर

यदि उस शहर में जिसमें आप लोग रहते हैं कोई मस्जिद है जिसमें जुमा की नमाज़ होती है, तो आप लोगों के ऊपर उनके साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और आप लोगों के लिए कोई दूसरा जुमा क़ायम करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उस शहर में जुमा की नमाज़ नहीं होती है, तो आप लोगों के लिए उसे क़ायम करना अनिवार्य है, और आप लोगों के लिए उसकी जगह पर जुहू की नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि (मुसलानों पर उनके गाँवों में जुमा के दिन जुमा की नमाज़ क़ायम करना अनिवार्य है, उसके शुद्ध होने के लिए जमाअत का होना शर्त है। और उसके सही होने के बारे में किसी निर्धारित संख्या की शर्त लगाने के बारे में कोई शर्ई प्रमाण साबित नहीं है, अतः उसके सही होने के लिए उसे तीन या उससे अधिक आदमियों के द्वारा क़ायम करना काफ़ी है, और विद्वानों के सही कथन के अनुसार उस आदमी के लिए जिसके ऊपर जुमा की नमाज़ अनिवार्य है उसकी जगह पर चालीस से कम संख्या होने के कारण जुहू की नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है)

स्थायी समिति का फत्वा संख्या : 1794 (8/178).

तथा स्थायी समिति के फत्वा संख्या 957 में आया है :

(जहाँ तक जुमा के क़ायम होने के लिए संख्या की शर्त लगाने की बात है: तो हम कोई नस (कुर्अन या हदीस का कोई प्रमाण) नहीं जानते हैं जो किसी निर्धारित संख्या को इंगित करता हो, और संख्या को निर्धारित करने वाले किसी नस के न होने की वजह से विद्वानों ने उस संख्या के बारे में मतभेद किया है जिससे जुमा की नमाज़ क़ायम होती है। इस बारे में जो कथन वर्णित हैं उन्हीं में से एक यह है कि : जुमा की नमाज़ तीन स्थायी लोगों से क़ायम होती है, और यह इमाम अहमद की एक रिवायत है, इसे औज़ाई और तकीयुद्दीन इब्ने तैमिया ने चुना है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿فَاسْعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.

"तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो।" और यह बहुवचन है और कम से कम बहुवचन तीन है।) (8/210)